



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1934 (शा०)

(सं० पटना 433) पटना, मंगलवार, 28 अगस्त 2012

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

6 अगस्त 2012

सं० वि०स०वि०-14/2012-3876/वि०स० ।—“बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2012”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 06 अगस्त, 2012 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

लक्ष्मीकान्त झा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना ।

[विंस०वि०-10/2012]

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012

कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 का संशोधन।—

(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(1) का खंड-(ग) विलोपित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :—

“ (2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रु० 20,000/- (बीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ”

3. व्यावृत्ति।— बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV, 1956) की धारा-6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा-6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-6 (1) (ग), जिसमें वासभूमि मिलाकर 5 एकड़ से अनधिक भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने कृषि भूमि से सटे 10 डिसमिल लोक भूमि का अतिक्रमण कर कृषि कार्य हेतु उपयोग करने की स्थिति में लगान एवं भूमि के उपयोग में हुए नुकसान का भुगतान करने पर समाहर्ता द्वारा उस व्यक्ति के साथ बन्दोवस्ती करने का प्रावधान है, को विलोपित करने एवं धारा-6(2) में समाहर्ता के आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि अधिकतम 2000/- रु0 से बढ़ाकर अधिकतम रु0 20,000/- (बीस हजार) किया जाना है।

इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वासभूमि मिलाकर 5 एकड़ से अनधिक भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने कृषि भूमि से सटे 10 डिसमिल लोक भूमि तक अतिक्रमण कर कृषि कार्य के लिए उपयोग करने की स्थिति में लगान एवं नुकसान के भुगतान पर उसके साथ बन्दोवस्त किये जाने के प्रावधान को समाप्त करने एवं समाहर्ता के आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम रु0 20,000/- (बीस हजार) किये जाने का प्रावधान करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जाना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।

(रमई राम)

भार साधक सदस्य

पटना:

लक्ष्मीकान्त झा,

दिनांक: 06 अगस्त, 2012

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान—सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 433-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>